न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......84/2024

कंप्यूटर रजि०नं०..............204/2024

सरकार बनाम अमित कुमार आदि

अंतर्गत धारा–212 भा०द०सं०

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–410/2023

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त बंटी सिंह को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि आप अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि सह अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.08.2023 को रात्रि के समय करीब 11.48 पी०एम० बजे वादिनी की बहन रागिनी उर्फ आरोही उम्र 21 वर्ष को वैन्यू गाड़ी संख्या–UP37R8195 सफेद रंग में बैठाकर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण कर आपराधिक षडयंत्र के तहत रागिनी उर्फ आरोही को सुराना के पास हिन्डन नदी के पुल पर ले जाकर पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कारित करने का अपराध कारित किया गया है, उक्त तथ्य को जानबूझकर छिपाते हुए, तथा सह अभियुक्तगण को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से सह अभियुक्तगण/अपराधियों को संश्रय दिया गया। इस प्रकार आपने धारा 212 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 21.01.2025

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 21.01.2025

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.01.22 16:45:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court